

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाथूसिंह बनाम नाथूलाल वगैरे

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज

प्रकरण संख्या निवेदक क्र. - 29/2022

तारीख हुक्म

02.11.2022

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारानु
उपस्थित। वास्ते पेश होने जवाब दरखास्त प्रार्थना पत्र दिनांकित
28.09.2022 पत्रावली दिनांक 14.11.2022 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

14.11.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारानु
उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा मूल
वादपत्र में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित
धारा 207 आर0टी0एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर
स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र को खारिज किया जा चुका है।
अतः ऐसी स्थिति में मूल वादपत्र के खारिज हो जाने पर इस प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 29/2022 उनवानी प्रकरण
नाथूसिंह बनाम नाथूलाल वगैरे को इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो। यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)



उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर